परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड़स्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–2

भाग–1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1	क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	उत्तराखण्ड राज्य के जनपद चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड़स्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण एवं मलवा निस्तारण स्थल हेतु कुल 40.8916 हे0 वन भूमि प्रभावित है। परियोजना की कुल लंबाई 61.000 कि0मी0 है।			
	ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।			
	ग) परियोजना की लागत।	**रू0 774.950 करोड़**			
	घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	उत्तराखण्ड राज्य के जनपद चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) पर आने वाले ट्रैफिक में वाहनों की संख्या अत्यधिक होने व सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण सड़क पर कई घंटे वाहन जाम में खड़े रहते हैं जिससे जनमानस को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तथा राष्ट्र को आर्थिक क्षति पहुंचती है। अतः सड़क की चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण का कार्य होना आवश्यक है। चुकि वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि. मी 399.00 से 460.00 भाग **आरक्षित वन** एवं सिविल वन भूमि से गुज़रता है अतः सड़क के चौड़ीकरण हेतु **आरक्षित वन** एवं सिविल वन भूमि की आवश्यकता अनिवार्य है।			
	ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	संलग्न है।			
	च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	निर्माण कार्य से लगभग 162000 मानव कार्यदिवस रोजगार पैदा होने की संभावना है। (100 कुशल व 200 अकुशल लोगो को 540 कार्यदिवस तक) को स्थानीय लोगो को रोजगार मिलेगा।			
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरणः	सड़क निर्माण एवं भूस्खलन उपचार (है0)	मलबा निस्तारण (है0)	**कुल वन भूमि (है0)**	
		33.9764	**6.9152**	**40.8916**	

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड़स्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	
	क) परिवारों की संख्या	0
	ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	कोई नहीं।
	ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	कोई नहीं।
4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है? (हॉ/नही)	नहीं।
5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)	संलग्न है
6.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों /दस्तावेंजों का ब्यौरा ।	सूची संलग्न है जिसमें समस्त विवरण उपलब्ध है।

दिनांकः–.....

स्थानः– चमोली,

महाप्रबंधक (परियोजना)
राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम
लिमिटेड़, देहरादून उत्तराखण्ड

Navin Kumar
General Manager (P)
NHIDCL B.O. Dehradun

प्रस्ताव की क्रम संख्या .....
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)